भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2413

सोमवार, 8 जुलाई, 2019 / 17 आषाढ़ 1941 (शक)

श्रम सुधार विधेयक

2413. कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल:
डॉ. सुकान्त मजूमदार:
श्री खगेन मुर्मु:
श्री राजन विचारे:
श्री विनायक राऊत:
श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार श्रम सुधार हेतु नया विधेयक लाने पर विचार कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने 44 श्रम कानूनों को चार बड़ी संहिताओं मजदूरी, औद्योगिक सुरक्षा और कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और औद्योगिक संबंधों में बांट दिया है तथा यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का ईएसआई, ईपीएफ को समाप्त करने और अन्य केन्द्रीय योजनाओं के साथ विलय करने और सामाजिक सुरक्षा निधि का निजीकरण करने का विचार है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या व्यापार को सुगम बनाने के नाम पर 70 प्रतिशत श्रमिक कवरेज से बाहर रह जाएंगे तथा यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने प्रस्तावित श्रम सुधारों के संबंध में मजदूर संघों से परामर्श किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में मुख्य मजदूर संघों का क्या दृष्टिकोण है तथा सरकार द्वारा मजदूर संघों की चिंताओं का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या विभिन्न मजदूरों संघों ने ऐसे संशोधन का विरोध किया है तथा यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त चिंताओं का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है? और

(च) क्या नई श्रम नीति द्वारा देश में संगठित/असंगठित श्रमिकों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करके उद्योग के हितों का ध्यान रखने की संभावना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): मंत्रालय ने विद्यमान केंद्रीय श्रम कानूनों के संगत उपबंधों को सरलीकृत, समामेलित एवं तर्कसंगत बनाकर क्रमश: मजदूरी; औद्योगिक संबंध; सामाजिक सुरक्षा; और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाओं से संबंधित चार श्रम संहिताओं के प्रारूपण हेतु उपाय किए हैं। इन 4 श्रम संहिताओं में मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, संरक्षा, स्वास्थ्य और कामगारों के लिए शिकायत निवारण तंत्र से संबंधित प्रावधान निहित हैं। इन पहलों से कामगारों को मजदूरी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा और सभ्य कार्यदशाएं प्रदान किए जाने की आशा है। तथापि, वर्तमान में कर्मचारी राज्य बीमा निमग

(ईएसआईसी), कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का विघटन करके अन्य किसी केन्द्रीय योजना के साथ विलय करने और तथा सामाजिक सुरक्षा निधि का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग): जी, नहीं।

(घ) से (छ): श्रम संबंधी विधायी सुधारों की प्रकिया में त्रिपक्षीय परामर्श के रूप में केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता एसोसिएशानों और राज्य सरकारों सहित हितधारकों के साथ परामर्श शामिल है। इसके अलावा प्रारूप श्रम संहिताओं को मंत्रालय की वेबसाइट पर भी डाला गया है और आम जनता सहित सभी हितधारकों से टिप्पणियां/सुझाव मांगे गए हैं। विभिन्न हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों पर विचार करने के बाद प्रारूप विधानों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

प्रस्तावित श्रम सुधार पहलों से श्रम कानूनों की बहुलता के कारण अनुपालन की जटिलता में कमी आएगी और उद्यमों को स्थापित करने में सुविधा मिलेगी और इससे देश में व्यवसाय तथा उद्योग के विकास के लिए वतावरण बनेगा तथा कामगारों की संरक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य के मूल पहलुओं को कमजोर किए बिना रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

*****